

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस



प्रकरण सं० : 17/2019

अनवान :

दुलीचन्द पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. किस्मत पुत्री ओमप्रकाश पत्नी सुरेन्द्र जाति जाट निवासी महराना हाल निवासी बुढ़ेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज० काश्त० अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री कपूरचन्द शर्मा : वादी

निर्णय


दिनांक : 27.2.19

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 7 एम. आर. एन. के खाता संख्या नयी पुरानी 7/6 के पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 3 के किला नं० 22, 23 व पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 9 के किला नं० 2 से 4, 7 से 9 व पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 51 के किला नं० 19, 21, 22 इस खाता की कुल 2.7830 हैक्टेयर नहरी भूमि जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा दर्ज है, व इसी चक 7 एम.आर.एन. के खाता संख्या 68/55 के पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 16 के किला नं० 21 से 24 व पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 17 के किला नं० 24, 25 व पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 20 के किला नं० 16, 25 पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 21 के किला नं० 16 से 25 पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 22 के किला नं० 4 से 7, 15, 16 व किला नं० 21 से 25 पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 23 के किला नं० 1 से 8, 9 से 15, 17 से 24 पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 24 के किला नं० 1, 10, 11 पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 42 के किला नं० 1 से 4, 7 से 14, 19, 20 पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 43 के किला नं० 1 से 20 पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 44 के किला नं० 1 से 20 व किला नं० 24, 25 पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 45 के किला नं० 5, 6 इस खाता की कुल 27.9570 हैक्टेयर भूमि जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश 171-1/3. मे 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार है व इसी प्रकार चक 8 एम.आर.एन. के जमाबंदी

Bw
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

सम्बत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 35/38 के पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 39 के किला नं० 22 से 25 व पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 40 के किला नं० 18 से 22 व किला नं० 23/1 पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 53 के किला नं० 1, 2, 3/2, 8/2, 9, 12/2, 13/1, 18, 19/1 पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 54 के किला नं० 2 से 5 इस खाता की कुल 5.1890 हैक्टेयर भूमि जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है व इसी प्रकार चक 8 एम.आर.एन. के जमाबंदी सम्बत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 49/56 की पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 40 के किला नं० 23/2 पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 53 के किला नं० 3/1, 8/1, 12/1, 13/2, 19/2 इस खाता की कुल 0.4550 हैक्टेयर जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा का खातेदार काश्तकार व इसी प्रकार चक 7 एम.आर.एन. के जमाबंदी सम्बत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 12/11 के पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 50 के किला नं० 11, 20, 21 पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 64 के किला नं० 10, 11, 20, 21 पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 65 के किला नं० 11 से 25 इस खाता की कुल 5.4160 हैक्टेयर भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है।

उपर वर्णित कुल वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है दादालाई पुश्तैनी कृषि भूमि है जिसमें वादी वादी का जन्म से हक हिस्सा है एवं उक्त भूमि की बाबत वादी व प्रतिवादीगण के मध्य माह नवम्बर 2018 में दीपावली से अगले रोज पारिवारिक समझौता हुआ जिसमें प्रतिवादिया संख्या 2 ने कुल वाद भूमि में से चक 7 एम.आर.एन. के खाता संख्या 7/6 व खाता संख्या 68/55 व चक 8 एम.आर.एन. के खाता संख्या 35/38 व खाता संख्या 49/56 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कुल भूमि में अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में तर्क कर दिया यह भी तय किया कि उक्त चक 7 एम.आर.एन. के खाता संख्या 7/6 व 68/55 व चक 8 एम.आर.एन. के खाता संख्या 35/38 व 49/56 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वर्तमान रिकार्ड में दर्ज कुल भूमि का वादी खातेदार काश्तकार होगा तथा उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कोई हक हिस्सा नहीं होगा उक्त भूमि के रिकार्ड से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जायेगा व प्रतिवादी संख्या 1 चक 7 एम.आर.एन. के जमाबंदी सम्बत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 12/11 की कुल 5.4160 हैक्टेयर भूमि का यथावत खातेदार काश्तकार रहेगा तथा उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादिया संख्या 2 का कोई हक हिस्सा नहीं होगा। इस प्रकार वादी मुताबिक पारिवारिक समझौता के चक 7 एम.आर.एन. के जमाबंदी सम्बत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 7/6 की 2.7830 हैक्टेयर भूमि में 1/3 हिस्सा व चक 7 एम.आर.एन. के जमाबंदी सम्बत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 68/55 में कुल 27.9570 हैक्टेयर भूमि में से 85-2/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है व इसी प्रकार चक 8 एम.आर.एन. के जमाबंदी सम्बत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 35/38 की कुल 5.1890 हैक्टेयर भूमि में वादी 1/6 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है व इसी प्रकार चक 8 एम.आर.एन. के जमाबंदी सम्बत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 49/56 की कुल 0.4550 हैक्टेयर भूमि में वादी 1/6 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कोई हक हिस्सा नहीं है उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश का नाम कलमजन कर उक्त भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार रिकार्ड में दर्ज किया जावे।


उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जिसे बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी दुलीचन्द के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 7 एमआरएन के खाता सं० 68/55 व 7/6 सम्वत् 2073-76 प्रदर्श 1, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी भूमि एकीकरण विभाग चक 7 महराना सम्वत् 2016 प्रदर्श 2, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी भूमि एकीकरण विभाग चक 8 महराना सम्वत् 2016 प्रदर्श 3, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 8 एमएआरएन के खाता सं० 35/38, 49/56 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 4, प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद कृषि भूमि दादालाई पुशतैनी कृषि भूमि है जिसमे वादी का जन्म से हक हिस्सा है एवं उक्त भूमि की बाबत वादी व प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारीक समझौता हो चुका है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 7 व 8 एमआरएन के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा में वाद कृषि भूमि दादालाई पुशतैनी होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादी ने प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी भूमि एकीकरण विभाग चक 7 महराना सम्वत् 2016 प्रदर्श 2, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी भूमि एकीकरण विभाग चक 8 महराना सम्वत् 2016 प्रदर्श 3 प्रदर्शित है जिसमें वाद भूमि वादी के दादा रामजीलाल वल्द नन्दराम के नाम दर्ज है इस प्रकार वाद भूमि दादालाई पुशतैनी कृषि भूमि होना साबित है प्रदर्श 5 में ओमप्रकाश के एक पुत्र दुलीचन्द व एक पुत्री किस्मत केवल दो ही सन्तान होना व इसके अलावा अन्य कोई सन्तान नहीं होना अंकित है। वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है व मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने पर सहमत है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम महराना के जमाबन्दी समवत् 2073 से 2076 चक 7 एम. आर. एन. के खाता संख्या नयी पुरानी 7/6 के पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 3 के किला नं० 22, 23 व पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 9 के किला नं० 2 से 4, 7 से 9 व पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 51 के किला नं० 19, 21, 22 इस खाता की कुल 2.7830 हैक्टेयर नहरी भूमि मे वादी 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है, व इसी प्रकार चक 7 एम.आर.एन. के जमाबन्दी समवत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 68/55 के पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 16 के किला नं० 21 से 24 व पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 17 के किला नं० 24, 25 व पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 20 के किला नं० 16, 25 पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 21 के किला नं० 16 से 25 पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 22 के किला नं० 4 से 7, 15, 16 व किला नं० 21 से 25 पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 23 के किला नं० 1 से 8, 9 से 15, 17 से 24 पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 24 के किला नं० 1, 10, 11 पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 42 के किला नं० 1 से 4, 7 से 14, 19, 20 पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 43 के किला नं० 1 से 20 पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 44 के किला नं० 1 से 20 व किला नं० 23, 24, 25 पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 45 के

BW
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ)

दुलीचन्द बनाम ओमप्रकाश आदि

किला नं० 5, 6 इस खाता की कुल 27.9570 हैक्टेयर भूमि मे वादी 85-2/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है, व इसी प्रकार चक 8 एम.आर.एन. के जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 35/38 के पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 39 के किला नं० 22 से 25 व पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 40 के किला नं० 18 से 22 व किला नं० 23/1 पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 53 के किला नं० 1, 2, 3/2, 8/2, 9, 12/2, 13/1, 18, 19/1 पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 54 के किला नं० 2 से 5 इस खाता की कुल 5.1890 हैक्टेयर भूमि मे वादी 1/6 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है, व इसी प्रकार चक 8 एम.आर.एन. के जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 49/56 की पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 40 के किला नं० 23/2 पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 53 के किला नं० 3/1, 8/1, 12/1, 13/2, 19/2 इस खाता की कुल 0.4550 हैक्टेयर भूमि मे वादी 1/6 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कोई हक हिस्सा नही है उपरोक्त सभी खातो की भूमि के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश का नाम कलमजन कर उक्त भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादी सं० 1 ओमप्रकाश उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि व प्रतिवादिया सं० 2 किस्मत ने सम्पूर्ण कृषि भूमि से अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे व चक 7 एम.आर.एन. के जमाबंदी समवत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 12/11 की 5.4160 हैक्टेयर भूमि यथावत प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज रखी जाकर तदानुसार जमाबन्दी हाल दुरुस्त कि जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.2.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजकुमार कृष्णा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएस

प्रकरण सं० : 17/2019

अनवान :

दुलीचन्द पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।


- वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. किस्मत पुत्री ओमप्रकाश पत्नी सुरेन्द्र जाति जाट निवासी महराना हाल निवासी बुढेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री कपूरचन्द शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम महराना के जमाबंदी समवत् 2073 से 2076 चक 7 एम. आर. एन. के खाता संख्या नयी पुरानी 7/6 के पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 3 के किला नं० 22, 23 व पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 9 के किला नं० 2 से 4, 7 से 9 व पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 51 के किला नं० 19, 21, 22 इस खाता की कुल 2.7830 हैक्टेयर नहरी भूमि मे वादी 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है, व इसी प्रकार चक 7 एम.आर.एन. के जमाबंदी समवत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 68/55 के पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 16 के किला नं० 21 से 24 व पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 17 के किला नं० 24, 25 व पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 20 के किला नं० 16, 25 पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 21 के किला नं० 16 से 25 पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 22 के किला नं० 4 से 7, 15, 16 व किला नं० 21 से 25 पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 23 के किला नं० 1 से 8, 9 से 15, 17 से 24 पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 24 के किला नं० 1, 10, 11 पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 42 के किला नं० 1 से 4, 7 से 14, 19, 20 पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 43 के किला नं० 1 से 20 पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 44 के किला नं० 1 से 20 व किला नं० 23, 24, 25 पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 45 के किला नं० 5, 6 इस खाता की कुल 27.9570 हैक्टेयर भूमि मे वादी 85-2/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है, व इसी प्रकार चक 8 एम.आर.एन. के जमाबंदी समवत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 35/38 के पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 39 के किला नं० 22 से 25 व पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 40 के किला नं० 18 से 22 व किला नं० 23/1 पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 53 के किला नं० 1, 2, 3/2, 8/2, 9, 12/2, 13/1, 18, 19/1 पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 54 के किला नं० 2 से


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)



दुलीचन्द बनाम ओमप्रकाश आदि पर्चा डिक्री

5 इस खाता की कुल 5.1890 हैक्टेयर भूमि में वादी 1/6 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है, व इसी प्रकार चक 8 एम.आर.एन. के जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 49/56 की पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 40 के किला नं० 23/2 पत्थर नं० 0 के मुरब्बा नं० 53 के किला नं० 3/1, 8/1, 12/1, 13/2, 19/2 इस खाता की कुल 0.4550 हैक्टेयर भूमि में वादी 1/6 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कोई हक हिस्सा नहीं है उपरोक्त सभी खातों की भूमि के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश का नाम कलमजान कर उक्त भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादी सं० 1 ओमप्रकाश उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि व प्रतिवादिता सं० 2 किस्मत ने सम्पूर्ण कृषि भूमि से अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे व चक 7 एम.आर.एन. के जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 12/11 की 5.4160 हैक्टेयर भूमि यथावत प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रखी जाकर तदनुसार जमाबन्दी हाल दुरुस्त कि जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27.2.19 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



R.K.
(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्डाधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़